आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

लगान निर्धारण अपील वाद सं0......03......./2014

संतोष कुमार वनाम बिहार सरकार

आदेश

31.12.14 अपीलार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा लगान निर्धारण मद सं0–01/13–14 में दिनांक 30.12.2013 को पारित आदेश के विरूद्व यह वाद लाया है। आवेदक को सुना तथा उनके अर्जी आवेदन का भी अध्ययन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 का गहण परिशीलन किया। उन्होंने प्रश्नगत भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा भेजा गया लगान निर्धारण प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है तथा प्रश्नगत भूखंड का खेसरा एक बड़ा रकवा में है और नगर परिषद् क्षेत्र के मुख्य स्थल पर बताते हुए उसपर अवैध रूप से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के आधार पर बहुत से लोग अवैध दखलकार हैं वो भूमि का क्रय-विक्रय कर रहे हैं, के संदर्भ में सुस्पष्ट पृथ्क प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, खगड़िया से की थी तथा आदेश की प्रति अंचल अधिकारी को भेजा गया था।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0–01/13–14 में पारित आदेश विधिवत प्रतीत होता है। इसलिए इसे अक्षुण्य रखा जाता है तथा अंचल अधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के इस वाद से संबंधित मांगे गये वांछित सूचनाएँ आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से भेज दें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि अचंल अधिकारी, खगड़िया से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा गहण जाँच पड़ताल कर अवैध रूप से दखलकार व्यक्तियों के विरूद्व विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी आदेश के साथ अपील आवेदन को निष्पादित किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

31.12.14

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

31.12.14

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

क्र० पृ० उ०

10/02/15

ज्ञा० वी नं० 54 दिनांक 7-2-15

प्रतिलिपि – भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया एवं अंचल अधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) जिला सूचना पदाधिकारी एन० आई० सी० खगड़िया को निदेश है कि इसे खगड़िया जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय

/2015

अपर समाहर्ता
खगड़िया

6/2/15